

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2026

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच(01) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-33/2017/1/पांच(33) दिनांक 19 सितम्बर, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीडियां;";
------	------------------------	------------

(ख) अनुसूची III – 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403	अन्यनिर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू, तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत।";

(ग) अनुसूची VII – 14% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2026

क्र.- एफ-ए-3-33-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-33-2017-1-पांच-(01), दिनांक 30 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th January 2026

No. F A 3-33/2017/1/V(01) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the state government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendation of the council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A-3-33/2017/1/V(33) dated 19th September, 2025,

In the said notification, -

- (a) in the Schedule II – 9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;"
------	------------------------	---------

- (b) in the Schedule III – 20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; —homogenised or —reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion;"

- (c) the Schedule VII-14%, and the entries relating thereto shall be omitted .

2. This notification shall come into force with 01st day of February, 2026 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH OGREY, Addl. Secy.